



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122024-259336  
CG-DL-E-11122024-259336

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4934]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 2024/अग्रहायण 19, 1946

No. 4934]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 2024/AGRAHAYANA 19, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5330(अ).— केंद्रीय सरकार, चिकित्सा युक्ति नियम, 2017 के नियम 19 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2237 (अ), तारीख 1 जून, 2018 में संशोधन करने के लिए और निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना की, सारणी में,

(i) क्रम संख्यांक (2) में, स्तंभ (3) में "कंडोम" शब्द के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"सर्जिकल दस्ताने और चिकित्सा परीक्षण दस्ताने";

(ii) क्रम संख्यांक(3) में, स्तंभ(3) में "रोगाणुनाशी" शब्द के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"सर्जिकल दस्ताने और चिकित्सा परीक्षण दस्ताने";

(iii) क्रम संख्यांक(5) में, स्तंभ(3) में "और फ्लोप रिंग्स" शब्द के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“सर्जिकल दस्ताने, चिकित्सा परीक्षण दस्ताने, रुई की पट्टी, रुधिर थैलियों और डिस्पोजेबल सिरिंजों में प्रयुक्त एंटीकोगुलेट सोल्यूशंस”।

[फा. सं. एक्स. 11035/29/2024-डीआरएस]

राजीव वधावन, सलाहकार (लागत)

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का. आ.संख्यांक 2237 (अ), तारीख 1 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1928 (अ), तारीख 25 अप्रैल, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2024

**S.O. 5330(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 19 of the Medical Devices Rules, 2017, the Central Government hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) number S.O. 2237(E), dated the 1st June, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in the table,

- (i) in serial number (2), in column (3), after the word, “Condoms”, the following shall be inserted, namely:-  
“, Surgical Gloves and Medical examination Gloves”;
- (ii) in serial number (3), in column (3) after the word, “Disinfectant”, the following word shall be inserted, namely:-  
“, Surgical Gloves and Medical examination Gloves”;
- (iii) in serial number (5), in column (3) after the word, “and Falope Rings”, the following shall be inserted, namely:-  
“, Surgical Gloves, Medical examination Gloves, Cotton Bandages, Anticoagulant Solutions used in blood bags and Disposable syringes”.

[F.No. X. 11035/29/2024-DRS]

RAJIV WADHAWAN, Advisor (Cost).

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2237(E), dated the 1<sup>st</sup> June, 2018 and last amended *vide* notification number S.O. 1928(E), dated the 25th April, 2023.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2024

**का.आ. 5331(अ).**—केन्द्रीय सरकार, चिकित्सा युक्ति नियम 2017 के नियम 18 के उपनियम (1) के साथ पठित ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 8 अगस्त, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ 3739 (अ), तारीख 2 अगस्त, 2022 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सरकारी विश्लेषकों को उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उनके नामों के समक्ष यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा युक्तियों के संबंध में चिकित्सा युक्ति परीक्षण अधिकारी के रूप में पदाभिहित करती है, अर्थात:-

## सारणी

क्रम सं.	सरकारी विशेषक का नाम	प्रयोगशाला का नाम	चिकित्सा युक्ति (युक्तियों)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डॉ सरोज कुमार घोष	केंद्रीय ओषधि प्रयोगशाला, कोलकाता	रोगाणु मुक्त और एकल उपयोग चिकित्सा युक्ति, गैर- रोगाणु मुक्त चिकित्सा युक्ति, सर्जिकल ड्रेसिंग, चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए दस्ताने, रोगाणुनाशी।
2.	डॉ राकेश कुमार ऋषि		
3.	डॉ अंजन पाल		
4.	डॉ दिलीप कुमार पांडा		
5.	श्रीमती सुपर्णा मैत्रा		
6.	श्रीमती सी. विजयालक्ष्मी	केंद्रीय ओषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नई	यांत्रिक गर्भनिरोधक, चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए दस्ताने।
7.	श्रीमती जी. शशिकला		
8.	श्री किशोर गेम्बाली		
9.	श्री सी. हरिहरन	केंद्रीय ओषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुंबई	यांत्रिक गर्भनिरोधक, चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए दस्ताने।
10.	श्रीमती सयाली यू. वार्डे		
11.	श्रीमती अक्षता एस परांजपे		
12.	श्रीमती सुजाता एस. कैसरे		
13.	डॉ विजयकुमार मुनिपल्ली		
14.	श्रीमती सुखदा ए नवरत्ने		
15.	श्री अमर ज्योति चमुआ	क्षेत्रीय ओषधि परीक्षण प्रयोगशाला, गुवाहाटी, असम	रोगाणुमुक्त और एकल उपयोग चिकित्सा युक्ति, गैर- रोगाणुमुक्त चिकित्सा युक्ति, चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए दस्ताने।
16.	श्री दिलीप कुमार सरकार		
17.	श्रीमती रिकू कलिता		
18.	श्री हितेश कुमार खरे	क्षेत्रीय ओषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चंडीगढ़	रोगाणुमुक्त और एकल उपयोग चिकित्सा युक्ति, गैर- रोगाणुमुक्त चिकित्सा युक्ति, सर्जिकल ड्रेसिंग, चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए दस्ताने।
19.	डॉ देवासिस मैती		
20.	डॉ राजेश कुमार शर्मा	राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा	इन-विट्रो नैदानिक चिकित्सा युक्ति।
21.	सुश्री कंचन आहूजा		
22.	सुश्री अंजता सरकार		
23.	डॉ ऋचा बरनवाल		
24.	डॉ. पंकज कुमार शर्मा		
25.	डॉ वरुण सिंह		
26.	डॉ गौरी मिश्रा		
27.	डॉ अश्वनी कुमार दूबे		

[फा. सं. एक्स. 11035/29/2024-डीआरएस]

राजीव वधावन, सलाहकार (लागत)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th December, 2024

**S.O. 5331(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) read with sub-rule (1) of rule 18 of the Medical Devices Rules 2017, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) number S.O. 3739(E), dated, the 2<sup>nd</sup> August, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 8<sup>th</sup> August, 2022 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby designates the following Government Analysts specified in column (2) of the Table given below as Medical Device Testing Officers in respect of the Medical Devices as specified against their names in column (4) of the said table, namely :-

**TABLE**

<b>Serial No.</b>	<b>Name of Government Analyst</b>	<b>Name of Laboratory</b>	<b>Medical Device (s)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Dr. Saroj Kumar Ghosh	The Central Drugs Laboratory, Kolkata	Sterile and Single use Medical Devices, Non-sterile Medical Devices, Surgical dressings, Gloves for Medical purposes, Disinfectant.
2.	Dr. Rakesh Kumar Rishi		
3.	Dr. Anjan Pal		
4.	Dr. Dilip Kumar Panda		
5.	Smt. Suparna Maitra		
6.	Smt. C. Vijayalakshmi	The Central Drugs Testing Laboratory, Chennai	Mechanical Contraceptives, Gloves for Medical purposes.
7.	Smt. G. Sasikala		
8.	Shri Kishor Gembali		
9.	Shri. C. Hariharan	The Central Drugs Testing Laboratory, Mumbai	Mechanical Contraceptives, Gloves for Medical purposes.
10.	Smt. Sayali U. Warde		
11.	Smt. Akshata S. Paranjpe		
12.	Smt. Sujata S. Kaisare		
13.	Dr. Vijayakumar Munipalli		
14.	Smt. Sukhada A. Navaratne	The Regional Drugs Testing Laboratory, Guwahati, Assam	Sterile and Single Use Medical Devices, Non-sterile Medical Devices, Gloves for Medical purposes.
15.	Shri. Amar Jyoti Chamuah		
16.	Shri. Dilip Kr. Sarkar		
17.	Smt. Rinku Kalita	The Regional Drugs Testing Laboratory, Chandigarh	Sterile and Single Use Medical Devices, Non-sterile Medical Devices, Surgical dressings, Gloves for Medical purposes.
18.	Shri. Hitesh Kumar Khare		
19.	Dr. Debasis Maiti	The National Institute of Biologicals, Noida	In-vitro Diagnostic Medical Devices.
20.	Dr. Rajesh Kumar Sharma		
21.	Ms. Kanchan Ahuja		
22.	Ms. Ajanta Sircar		
23.	Dr. Richa Baranwal		
24.	Dr. Pankaj Kumar Sharma		

<b>Serial No.</b>	<b>Name of Government Analyst</b>	<b>Name of Laboratory</b>	<b>Medical Device (s)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
25.	Dr. Varun Singh		
26.	Dr. Gauri Misra		
27.	Dr. Ashwani Kumar Dubey		

[F.No. X. 11035/29/2024-DRS]

RAJIV WADHAWAN, Advisor (Cost).